

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना
सं0 85/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

(i) क्रम सं0 557क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“557ख	कोई अध्याय	सभी वस्तुएं, पोत, जहाज [मोटर वाहन से भिन्न] आयात के पश्चात उपयोग के लिए आयातक द्वारा लीज के तहत आयातित	-	शून्य	102”;
-------	------------	--	---	-------	-------

(ii) क्रम सं0 607 या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“607 क	9804	निजी इस्तेमाल के लिए आयातित जीवन रक्षक औषधियों/दवाएं, जिनकी विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई	शून्य	शून्य	104”;
--------	------	--	-------	-------	-------

(ख) अनुबंध में, शर्त संख्या 103 के पश्चात निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

<p>“104</p>	<p>यदि आयातकर्ता आयात के समय-</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आयात की गई हो;</p> <p>(2) महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली, राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी / जिला के सिविल सर्जन, द्वारा यह नीचे दिए गए फॉर्म में प्रमाणित है, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, नीचे दिए गए फॉर्म में यह प्रमाणित है कि यह माल, जीवन <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (विवरण, मात्रा और तकनीकी विशिष्टता के संबंध में) हैं; तथा</p> <p>(3) उपआयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो, को इस आशय की अंडरटेकिंग देता है कि आयातित वस्तुओं का प्रयोग निजी उद्देश्य के लिए किया जाएगा और यदि उक्त आयातित वस्तुओं का प्रयोग उपर्युक्त उद्देश्य के लिए नहीं होता है तो वह मांग किए जाने पर उतनी राशि का भुगतान करेगा जितना कि यदि इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट न दी गई होती तो उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर शुल्क लगता</p> <p style="text-align: center;">प्रपत्र</p> <p style="text-align: center;">प्रमाणपत्र संख्या..... (वर्ष)</p> <p style="text-align: center;">प्रमाणित किया जाता है कि..... (रोगी का नाम) द्वारा आयात की जा <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> का नाम), जीवन <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> है, और (मात्रा), उपचार अवधि.....(महीनों) के <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> आवश्यक है और इसकी आईजीएसटी के भुगतान से छूट की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक की तिथि के साथ हस्ताक्षर / उप महानिदेशक / सहायक महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन "</p>
-------------	--

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[F.No.354/320/2017-TRU]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 84/2017-सीमा शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 2017 सा.का.नि. 1376(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2017 द्वारा किया गया था ।